

बजट पत्र



संख्या-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-4736-वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-25/05/2015

अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दि०-01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-9557, दिनांक-17/10/2014 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01/07/2014 के प्रभाव से 212 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय झापोंन सं०-1(3)/2008-ई-11 (बी) दिनांक- 24/04/2015 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 212 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 223 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है—

(क) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत किया जाता है ।

(ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) मंहगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबन्धिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

6. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें। बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-4736-वि०

पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-4736-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-4736-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मैंहगाई भत्ता/राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर अदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।

ह०/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-4736-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक-3 कृ०-बजट-विविध-07/2014 3126 /क०, पटना, दिनांक: - 25/6/2015

Fax/Mail

प्रतिलिपि :-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/ निदेशक पी०पी०एम०/ सभी संयुक्त निदेशक (शष्प)/ नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी /सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्प) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/ सभी उप निदेशक (शष्प) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्प) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) बीज निरीक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्प) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्प) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्प) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्प) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्प) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/उप निदेशक (शष्प) प्रसार-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विश्वासभाजन

(15/24/6/15)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

/क०, पटना, दिनांक: - 25/6/2015

ज्ञापांक-

3126

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

/क०, पटना, दिनांक: - 25/6/2015

ज्ञापांक-

3126

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्प) सूचना/आई-टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,